न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **61/2012** अपील (राजस्व)

श्री बाबूलाल उर्फ देवकिशन पिता प्रभुलाल जी सुथार निवासी ग्राम कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री गणेशलाल पिता रूपाजी सुथार, निवासी खेडा कानपुर, तहसील गिर्वा
2. ऐलिगेन्ट बिल्ड एस्टेट प्रा.लि., रजिस्टर्ड कार्यालय 17, न्यायमार्ग, कोर्ट चौराहा, उदयपुर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हिमांशु जैन पिता सम्पतलाल जी जैन, नि. उदयपुर
3. तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुर

—— **रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुर इन्तकाल नं. 85 तारीख फैसल 21.01.2011 अन्तर्गत धारा 75 राज.लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थित : श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री हनुमान शर्मा, अधिवक्ता वि.सं.2

निर्णय

दिनांकः— 03.02.2020

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुर इन्तकाल नं. 85 तारीख फैसल 21.01.2011 अन्तर्गत धारा 75 राज.लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कानपुर के साबिक आराजी नं. 810, 917, 1679, 2112/5, 2112/8 जिनके हाल नं. 1173, 1176, 1383, 1384, 2742, 3754 से 3761 बने है। जिनके संबंध में बाबूलाल द्वारा एक दावा/अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र मु.नं. 178/01 निर्णय दिनांक 29.04.03 को हुआ। जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म करते हुए दोनो पक्षों को मूल वाद के निर्णय तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व भूमि का हस्तान्तरण ताफैसला वाद नही करने का आदेश जारी किया गया। जिसकी अपील

मोतीलाल वगैरहा ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहा प्रस्तुत की गई जिसके प्र.सं. 473/03 निर्णय दिनांक 20.09.04 से अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी गिर्वा का आदेश अपास्त कर रेस्पोडेन्ट का प्रथम दृष्टया केस मानते हुए सुविधा संतुलन भी उसके हक में मानते हुए निषेधाज्ञा को निरस्त कर दी गई। जिसकी अपील बाबूलाल द्वारा राजस्व मण्डल राज. अजमेर में प्रस्तुत की गई। जहां से आदेश दिनांक 20.09.04 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के आदेश को स्थगित किया गया एवं अप्रार्थी को पाबन्द किया गया कि प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करें। न ही भूमि को हस्तान्तरण करें। जिसका ज्ञान रेस्पोडेन्ट को होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट द्वारा कथित जमीन का विक्रय कर दिया। जिसका अपीलीय नामान्तकरण दिनांक 21.01.11 को स्वीकृत किया गया। जबकि उक्त सारी कार्यवाही स्थगन आदेश के होते हुए की गई। जो वोईड होकर बिना अधिकार के होने से अपीलान्ट कथित आदेश से नाराज होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थगन आदेश की स्थिति बहुत ही स्पष्ट होते हुए भी रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। जिसके लिए विपक्षीगण के विरूद्ध कन्टेम्ट का केस राजस्व मण्डल राज. अजमेर में पेण्डिंग होते हुए भी जानबुझकर कथित इन्तकाल स्वीकार किया। यह एबइनिश्योवाईड होकर बिना अधिकार के है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तकरण सं. 85 दिनांक 21.01.11 का आदेश अपास्त फरमाया जाये।

अपने अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थनापत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तकरण का ज्ञान पहली बार दिनांक 01.10.12 को हुआ जब पटवारी सा. ने कहा कि स्थगन होते हुए भी यह जमीन रेस्पोडेन्ट के नाम म्यूटेशन कर दी गई है। उसी समय नामान्तकरण की नकले प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई। अतः दिनांक 21.01.11 से दिनांक 12.11.2012 तक का समय कन्डोन कराना फरमावें। प्रकरण में अपीलान्ट को बिना सुने ही आदेश पारित किये जाने से मयाद का बिन्दु लागू नहीं होता है।

अपने अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तकरण से प्रार्थी प्रभावित हुआ है। प्रार्थी पक्षकार नहीं होते हुए भी उसके द्वारा यह अपील पेश करना आवश्यक हो जाने से यह अपील पेश की जा रही है। जिसके लिए स्वीकृति प्रदान कराये जाना आवश्यक है। क्योकि प्रार्थी हितबद्ध व्यक्ति है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई एवं लिखित बहस प्रस्तुत

की गई जो शामिल पत्रावली है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री गणेशलाल नागदा उपस्थित होकर दिनांक 23.09.19 को अण्डरटेकिंग दी। जो बाद में उपस्थित नही रहें। अतः उनके विरूद्ध दिनांक 02.12.19 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा कानपुर तहसील गिर्वा साबिक आराजी नं. 810, 917, 1679, 2112/5, 2112/8 जिनके हाल नं. 1173, 1176, 1383, 1384, 2742, 3754 से 3761 बने है। जिनके संबंध में बाबूलाल द्वारा एक दावा/अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र मु.नं. 178/01 निर्णय दिनांक 29.04.03 को हुआ। जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म करते हुए दोनो पक्षों को मूल वाद के निर्णय तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व भूमि का हस्तान्तरण ताफैसला वाद नही करने का आदेश जारी किया गया। जिसकी अपील विपक्षी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में की गई। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर ने अपने आदेश दिनांक 20.09.04 से उपखण्ड अधिकारी के आदेश को अपास्त कर दिया गया। जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में की गई। जहा से दिनांक 01.10.04 को अपीलान्ट के पक्ष में आदेश पारित करते हुए न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा यह आदेश पारित किया कि ''स्थगन प्रा.पत्र आरजी तौर पर स्वीकार किया जाता है। अतः भूप्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर को लिखा जावे कि उनके आदेश दिनांक 20.09.04 को पालना मण्डल के अन्य आदेश तक स्थगित रखी जावे एवं अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करें और ना ही भूमि को हस्तान्तरित करें। स्थगन प्रार्थनापत्र के नोटिस जारी हो अहकाम पालनार्थ दस्ती जारी हो।'' उक्त स्थगन आदेश के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा कथित जमीन का विक्रय दिनांक 28.12.10 को किया जाकर अपीलीय नामान्तकरण अधीनस्थ न्यायालय से स्वीकृत करवा लिया गया। यानिकी विक्रय एवं अपीलीय नामान्तकरण दौराने स्थगन हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर विचार किये बिना जो आदेश स्थगन आदेश होते हुए पारित किया वह बिल्कुल गलत होकर बिना अधिकार के है। जो खारीज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलीय नामान्तकरण खारीज फरमाया जाये। अपने कथनों की ताईद में A.I.R.2007 P.73, R.R.T.2011(2)P.907 दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा लिखित बहस को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा कानपुर तहसील गिर्वा साबिक आराजी नं. 810, 917,

1679, 2112/5, 2112/8 जिनके हाल नं. 1173, 1176, 1383, 1384, 2742, 3754 से 3761 बने है, के संबंध में वाद उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के यहा प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.04.03 से दोनो पक्षो को मूल वाद के निर्णय तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिये गये। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहा प्रस्तुत की गई। जहा से दिनांक 20.09.04 को अपील स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया गया। जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल राज. अजमेर में प्रस्तुत किये जाने पर ताफैसला निगरानी भूमि की मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिये गये। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 28.12.10 को जमीन का विक्रय किया गया जिसका नामान्तकरण दिनांक 21.01.11 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया। जबकि अपीलान्ट ने ऐसा कोई स्थगन आदेश न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त विक्रय राजस्व मण्डल का कोई स्थगन आदेश था और साथ ही उस निगरानी का क्या निर्णय हुआ और क्या वह निगरानी विचाराधीन है। इसके संबंध में श्रीमान के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जो यह प्रमाणित करते हो कि वादग्रस्त जमीन पर कोई स्थगन आदेश हो। इसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को नहीं थी। इसलिए जो नामान्तकरण खोला गया है। वह पूर्ण रूप से वैध था और साथ ही वादग्रस्त आराजीयात से अपीलान्ट का किसी प्रकार का संबधं न तो पूर्व में था, न आज है और ऐसी स्थिति में जो अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी वह बिना किसी आधार एवं दस्तावेज के प्रस्तुत की गई है। प्रकरण का मूल वाद न्यायालय में विचाराधीन है। उस स्थिति में मूल वाद के विचाराधीन होने के दौरान नामान्तकरण की अपील पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। क्योकि नामान्तकरण की कार्यवाही केवल मात्र फिस्कल प्रोसिडिंग है और जहां मूल वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में मिस्लीनियस प्रोसिडिंग कानून नहीं चल सकती है। अतः अपील कानूनन पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाता है, क्योकि अपील में प्रार्थी हितबद्ध व्यक्ति है।

प्रकरण में अपीलान्ट का प्रार्थनापत्र मयाद कन्डोन का स्वीकार किया जाता है क्योकि अपीलीय नामान्तकरण से हस्तान्तरित भूमि में अपीलान्ट हितबद्ध था, जिसे बिना सुने ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में दिनांक 21.01.11 से 12.11.2012 तक की अवधि का समय कन्डोन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय राजस्व

मण्डल राज. अजमेर के प्र.सं. निग/टीए/104/ 04/उदयपुर बाबूलाल बनाम मोतीलाल के आदेश दिनांक 01.10.04 का अवलोकन किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयातो के संबंध में अपने आदेश दिनांक 01.10.04 से स्थगन जारी किया गया। इसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट द्वारा कथित जमीन का विक्रय दिनांक 28.12.10 को किया जाकर उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर अपीलीय नामान्तकरण सं. 85 दिनांक 21.01.11 को स्वीकृत करवा लिया, जबकि उक्त सारी कार्यवाही राजस्व मण्डल राज. अजमेर के दौराने स्थगन की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी स्थगन आदेश की स्थिति बहुत ही स्पष्ट थी। न्यायालय का मत है कि माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा जारी स्थगन आदेश के दौरान भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तकरण पारित किया गया है, जो किसी भी दृष्टि से विधि अनुकूल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी स्थिति को नजरअंदाज करते हुए जो आदेश पारित किया गया है वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा मौजा कानपुर के इन्तकाल नं. 85 निर्णय दिनांक 21.01.11 जो कि दौराने स्थगन खोले जाने से खारीज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.17 12:27:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: